न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र :79/2021
निर्णय दिनांक : 20/4/2022

1. लाली देवी पत्नी स्व श्री भूराराम उम्र 68 वर्ष
2. प्रकाश पुत्र स्व श्री भूराराम उम्र 46 वर्ष
3. सीताराम पुत्र स्व श्री भूराराम उम्र 40 वर्ष
4. कैलाश पुत्र स्व श्री भूराराम उम्र 41 वर्ष
5. उमेश पुत्र स्व श्री भूराराम उम्र 34 वर्ष
6. गोपाल पुत्र स्व श्री भूराराम उम्र 37 वर्ष
7. छोटी देवी पुत्री स्व श्री भूराराम, पत्नी श्री किशनलाल उम्र 33 वर्ष

— प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

— अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीरामगोपालपुरा उर्फ भौज्यावास पटवार हल्का भांकरोटा कला भू–अभि.नि. भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर कृषि भूमि खसरा न0 307 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा न0 308 रकबा 0.07 है0, खसरा न0 309 रकबा 0.13 है0, खसरा न0 310 रकबा 0.18 है0, खसरा न0 311 रकबा 0.31 है0, खसरा न0 312 रकबा 0.30 है0, खसरा न0 313 रकबा 0.67 है0, खसरा न0 314 रकबा 0.14 है0, खसरा न0 315 रकबा 0.38 है0, खसरा न0 316 रकबा 0.36 है0, खसरा न0 317 रकबा 0.61 है0, खसरा न0 318 रकबा 0.29 है0, खसरा न0 319 रकबा 0.16 है0, खसरा न0 320 रकबा 0.17 है0, खसरा न0 321 रकबा 0.70 है0, खसरा न0 322 रकबा 0.37 है0, खसरा न0 323 रकबा 0.21 है0, खसरा न0 324 रकबा 0.22 है0, खसरा न0 325 रकबा 0.70 है0, खसरा न0 326 रकबा 0.11 हक्टैयर खसरा न0 355 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 21 कुल रकबा 6.18 हैक्टेयर का हिस्सा 1/32 की खातेदारी प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी भंवर पुत्र चोथमल के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। प्रार्थी संख्या एक के पति तथा प्रार्थी संख्या दो ता सात के पिता का नाम सही एवं सत्य नाम भूराराम पुत्र चोथमल जाति कुम्हार है। जिनका स्वर्गवास दिनांक 24.10.1999 को हो चुका है। प्रार्थी संख्या एक तथा प्रार्थी संख्या दो ता सात के पिता का सही व वास्तविक नाम भूराराम पुत्र चौथमल जाति कुम्हार है तथा प्रार्थीगण के समस्त राशनकार्ड और सरकारी दस्तावेजात में भी भूराराम पुत्र चौथमल अंकित है परन्तु राजस्व रिकार्ड में सहवनवश भूराराम पुत्र चौथमल जाति कुम्हार के स्थान पर भंवर पुत्र चौथमल जाति कुम्हार दर्ज है। कि भूराराम पुत्र चौथमल का स्वर्गवास दिनांक 24.10.1999 को हो गया है। जयपुर नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी सही नाम भूराराम पुत्र चौथमल अंकित है। प्रार्थी संख्या एक भूराराम की पत्नि है जिसने अपने पति भूराराम पुत्र चौथमल का सही नाम

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:06:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाने हेतु सही नाम के बाबत नोटिफिकेशन भी करवाया है। जिसका प्रकाशन जून 10, 2021 के राजस्थान राजपत्र साधारण में भाग 7 के पेज न. 276 पर हो चुका है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के पति/पिता के नाम की त्रुटी के कारण प्रार्थीगण के पति /पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात प्रार्थीगण का विरासत का नामान्तरण खुल नहीं पा रहा है और प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण के पति/पिता का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर विरासत का नामान्तरण दर्ज करने हेतु प्रतिवादी से कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी ने प्रार्थीगण से कहा कि माननीय न्यायलय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थीगण की पति/पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवनवश भंवर पुत्र चोथमल अंकित हो गया है। जबकि सही व वास्तविक नाम भूराराम पुत्र चौथमल है। इसलिये प्रार्थीगण के पति/पिता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम भंवर पुत्र चोथमल के स्थान पर भूराराम पुत्र चौथमल दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि खसरा न0 307 रकवा 0.08 हैक्टेयर, खसरा न0308 रकबा 0.07 है0, खसरा न0 309 रकबा 0.13 है0, खसरा न0 310 रकबा 0.18 है0, खसरा न0 311 रकबा 0.31 है0, खसरा न0 312 0.30 है0, खसरा न0 313 रकबा 0.67 है0, खसरा न0 314 रकबा 0.14 है0, खसरा न0 315 रकबा 0.38 है0, खसरा न0 316 रकबा 0.36 है0, खसरा न0 317 रकबा 0.61 है0, खसरा न0 318 रकबा 0.29 है0, खसरा न0 319 रकबा 0.16 है0, खसरा न0 320 रकबा 0.17 है0, खसरा न0 321 रकबा 0.70 है0, खसरा न0 322 रकबा 0.37 है0, खसरा न0 323 रकंबा 0.21 है0, खसरा न0 324 रकबा 0.22 है0, खसरा न0 325 रकवा 0.70 है0, खसरा न0 326 रकबा 0.11 है0, खसरा न0 355 रकबा 0.03 है0 कुल किता 21 रकबा 6.18 हैक्टेयर स्थित ग्राम श्रीरामगोपालपुरा उर्फ भौज्यावास पटवार हल्का भांकरोटा कला भू-अभि.नि. भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में हुये गलत इन्द्राज को दुरूस्त करते हुये गलत नाम भंवर पुत्र चोथमल के स्थान पर सही नाम भूराराम पुत्र चौथमल का अंकन किये जाने के आदेश फरमाने के कृपा करे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदा सांगानेर से रिपोर्ट प्राप्त जो पत्रावली में शामिल मिसल है। प्रार्थी लाली देवी ने "राजस्थान राज्य -पत्र साधारण"(RAJASTHAN GAZETTE Ordinary) में दिनांक 10 जून 2021 को शपथ पत्र पेश किया जिसमें कहा कि मेरे पति का नाम समस्त रिकॉर्ड में भूरा राम कुम्हार दर्ज है तथा जमाबंदी में मेरे पति का नाम भंवरी लाल दर्ज हो गया है जबकि मेरे पति को भूरा राम कुम्हार के नाम से ही जानते है तथा पित के मृत्यु दिनांक 24.10.1999 को एस0एम0एस0 अस्पताल में हो गई थी जिसका जयपुर नगर निगर द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसमें भी मेरे पति का नाम भुरा राम ही दर्ज है। वकील प्रार्थीगण ने सहकाश्तकारों के शपथ पत्र पेश किये। सहकाश्तकार प्रभूनारायण पुत्र स्व श्री चौथमल एवं लल्लूलाल पुत्र पुत्र स्व श्री चौथमल के अनुसार भंवर का वास्तविक व सही नाम भूराराम है जो उसके मृत्यु प्रमाण पत्र में भूराराम पुत्र चौथमल का सही व वास्तविक नाम भूराराम पुत्र चौथमल होने का शपथ-पत्र पेश किये।

वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में बहस में निवेदन किया। बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई, वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यों को दौहराया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:06:38 IST
Reason: SelfAttested

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

हमने बहस वकील प्रार्थीगण पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रार्थी लाली देवी ने "राजस्थान राज्य –पत्र साधारण"(RAJASTHAN GAZETTE Ordinary) में दिनांक 10 जून 2021 को पेश शपथ पत्र एवं सहकाश्तकार प्रभूनारायण कुम्हार पुत्र स्व श्री चौथमल एवं लल्लूलाल पुत्र पुत्र स्व श्री चौथमल के अनुसार भंवर का वास्तविक व सही नाम भूराराम है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम श्रीरामगोपालपुरा उर्फ भौज्यावास पटवार हल्का भांकरोटा कला भू–अभि.नि. भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर कृषि भूमि खसरा न0 307 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा न0 308 रकबा 0.07 है0, खसरा न0 309 रकबा 0.13 है0, खसरा न0 310 रकबा 0.18 है0, खसरा न0 311 रकबा 0.31 है0, खसरा न0 312 रकबा 0.30 है0, खसरा न0 313 रकबा 0.67 है0, खसरा न0 314 रकबा 0.14 है0, खसरा न0 315 रकबा 0.38 है0, खसरा न0 316 रकबा 0.36 है0, खसरा न0 317 रकबा 0.61 है0, खसरा न0 318 रकबा 0.29 है0, खसरा न0 319 रकबा 0.16 है0, खसरा न0 320 रकबा 0.17 है0, खसरा न0 321 रकबा 0.70 है0, खसरा न0 322 रकबा 0.37 है0, खसरा न0 323 रकबा 0.21 है0, खसरा न0 324 रकबा 0.22 है0, खसरा न0 325 रकबा 0.70 है0, खसरा न0 326 रकबा 0.11 हैक्टैयर खसरा न0 355 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 21 कुल रकबा 6.18 हैक्टेयर में हिस्सा 1/32 के खातेदार भंवर पुत्र चोथमल के स्थान पर सही नाम भूराराम पुत्र चौथमल का अंकन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 20/4/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:06:38 IST
Reason: SelfAttested

26, 2022, 18:43